

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 3 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-87/2024.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2024 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024

खण्डों के क्रम

खण्ड:

- संक्षिप्त नाम।
- धारा 6-ख का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम.— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 6-ख का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2अ) इस धारा में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा, यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है:

परंतु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है, तो उसके द्वारा पहले से ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जैसी विहित की जाए।”।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 विधान सभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन प्रदान करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन विधायी सदस्यों के दलबदल को हतोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, सांविधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए; राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए; और इस सांविधानिक पाप (सिन) के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख :....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)  
मुख्य मन्त्री ।

(शरद कुमार लगवाल)  
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :....., 2024.

---

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 24 of 2024.**

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND  
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 6-B.

---

**Bill No. 24 of 2024.**

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND  
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of  
Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year  
of the Republic of India as follow:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 2024.

**2. Amendment of section 6-B.**—In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, a person shall not be entitled for pension under the Act, if he has been disqualified at any time under the Tenth Schedule of the Constitution:

Provided that if a person is disentitled for pension under this sub-section, the amount of pension already drawn by him shall be recovered in the manner as may be prescribed.”.

---

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 was enacted with a view to provide for allowances and pension to the Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. Presently, there is no provision in the Act to discourage the defection of the legislative members under the Tenth Schedule of the Constitution of India. Thus, to achieve this Constitutional objective; to protect the mandate given by the people of the State, to preserve the democratic values; and to have deterrence towards this Constitutional sin, it has been necessitated to carry out amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**  
*Chief Minister.*

SHIMLA:

THE....., 2024.

---

### FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND  
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of  
Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).*

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**  
*Chief Minister.*

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:

THE....., 2024.

---